

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक  
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,  
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान  
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन  
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 241]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 1 अप्रैल 2010—चैत्र 11, शक 1932

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल, 2010

क्र. 2249-146-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31 मार्च, 2010 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम  
क्रमांक १२ सन् २०१०.

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०१०.

विषय-सूची.

धाराएं :

१. संक्षिप्त नाम.
२. धारा ९ का संशोधन.
३. धारा १५ का संशोधन.
४. धारा २२ का संशोधन.
५. धारा २७ का संशोधन.
६. धारा ३१ का संशोधन.
७. निरसन और व्यावृत्ति.

## मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १२ सन् २०१०.

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय ( संशोधन ) अधिनियम, २०१०.

[ दिनांक ३१ मार्च, २०१० को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )" में दिनांक १ अप्रैल, २०१० को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ को संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

- संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, २०१० है.
- धारा ९ का संशोधन. २. राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय अधिनियम, २००९ (क्रमांक ३ सन् २००९) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा ९ में, खण्ड (सात), (नौ) और (बारह) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड क्रमशः स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—
- “(सात) निदेशक, अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी, भोपाल;  
(नौ) निदेशक, साहित्य अकादमी, भोपाल;  
(बारह) कुलाध्यक्ष का नामनिर्देशिती, जो एक विख्यात कलाकार होगा;”.
- धारा १५ का संशोधन. ३. मूल अधिनियम की धारा १५ में, उपधारा (१) में, खण्ड (छह) और (सात) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड क्रमशः स्थापित किए जाएं, अर्थात्:—
- “(छह) निदेशक, साहित्य अकादमी, भोपाल;  
(सात) निदेशक, अलाउद्दीन खां संगीत और कला अकादमी, भोपाल;”.
- धारा २२ का संशोधन. ४. मूल अधिनियम की धारा २२ में, खण्ड (पांच) में, विद्यमान परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक स्थापित किया जाए, अर्थात्:—
- “परन्तु ऐसे किसी आवेदन पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि आयुक्त/संचालक, संस्कृति, मध्यप्रदेश द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र संलग्न न हो कि संस्था की स्थापना या संस्था द्वारा चाहे गए संकायों के विस्तार के लिए उसके द्वारा अनुज्ञा दी गई है;”.
- धारा २७ का संशोधन. ५. मूल अधिनियम की धारा २७ में, उपधारा (२) में, द्वितीय परन्तुक में, पूर्ण विराम के स्थान पर, अपूर्ण विराम (कोलन) स्थापित किया जाए और उसके पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:—
- “परन्तु यह भी कि प्रथम कुलपति ऐसी कालाधि तक पद धारण करेगा जिसके कि लिए वह प्रारंभिक रूप से नियुक्त किया गया है और वह सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर अपना पद धारण करने से प्रवृत्त नहीं रहेगा.”.
- धारा ३१ का संशोधन. ६. मूल अधिनियम की धारा ३१ में, उपधारा (२) में, शब्द “साधारण परिषद्” का लोप किया जाए.
- निरसन और व्यावृत्ति. ७. (१) राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, २०१० (क्रमांक २ सन् २०१०) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

(२) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंध के अधीन किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई समझी जाएगी.

भोपाल, दिनांक 1 अप्रैल 2010

क्र. 2250-146-इक्कीस-अ (प्रा.)—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2010 (क्रमांक 12 सन् 2010) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 12 OF 2010.

RAJA MAN SINGH TOMAR SANGIT EVAM KALA VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN)  
ADHINIYAM, 2010.

TABLE OF CONTENTS.

Sections :

1. Short title.
2. Amendment of Section 9.
3. Amendment of Section 15.
4. Amendment of Section 22.
5. Amendment of Section 27.
6. Amendment of Section 31.
7. Repeal and Saving.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 12 OF 2010

RAJA MAN SINGH TOMAR SANGIT EVAM KALA VISHWAVIDYALAYA  
(SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2010.

[Received the assent of the Governor on the 31st March, 2010; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated the 1st April, 2010.]

**An Act to amend the Raja Man Singh Tomar Sangit Evam Kala Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty first Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may be called the Raja Man Singh Tomar Sangit Evam Kala Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhiniyam, 2010. Short title.

2. In Section 9 of the Raja Man Singh Tomar Sangit Evam Kala Vishwavidyalaya Adhiniyam, 2009 (No. 3 of 2009) (hereinafter referred to as the Principal) for clauses (vii), (ix), and (xii) the following clauses shall respectively be substituted, namely :— Amendment of Section 9.

“(vii) the Director, Allauddin Khan Sangit Aur Kala Academy, Bhopal;

(ix) the Director, Sahitya Academy, Bhopal;

(xii) nominee of the Visitor who shall be an eminent artist;”.

**Amendment of Section 15.**

3. In Section 15 of the Principal Act, in sub-section (1), for clauses (vi) and (vii), the following clauses shall respectively be substituted, namely :—

“(vi) the Director, Sahitya Academy, Bhopal;

(vii) the Director, Allauddin Khan Sangit Aur Kala Academy, Bhopal;”.

**Amendment of Section 22.**

4. In Section 22 of the Principal Act, in clause (v), for the existing proviso, the following proviso shall be substituted, namely:—

“Provided that no such application shall be considered unless it is accompanied by a certificate issued by the Commissioner/Director, Culture, Madhya Pradesh to the effect that the establishment of the institution or the expansion of faculties sought by the institution has been permitted by him;”.

**Amendment of Section 27.**

5. In Section 27 of the Principal Act, in sub-section (2), in second proviso, for full-stop, the colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be inserted, namely :—

“Provided also that the first Vice-Chancellor shall hold office for the period for which he is initially appointed and he shall not cease to hold his office on attaining the age of seventy years.”.

**Amendment of Section 31.**

6. In Section 31 of the Principal Act, in sub-section (2), the words “General Council” shall be omitted.

**Repeal and Saving.**

7. (1) Raja Man Singh Tomar Sangit Evam Kala Vishwavidyalaya (Sanshodhan) Adhyadesh, 2010 (No. 2 of 2010) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding the repeal of the said Ordinance, anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provision of this Act.